न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—249 / 2014 / 223 (2014 / 00037)

1. श्री गोपाल कृष्ण पण्डित पुत्र श्री पुखराज ब्राहमण,
2. पांचूसिंह पुत्र लालसिंह रावत,
3. नारायण सिंह पुत्र आसूसिंह रावत,
4. किशनसिंह पुत्र रामसिंह रावत,
   निवासी ग्राम तारागढ़ तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
5. खेतसिंह पुत्र हिम्मतसिंह रावत,
6. रूपासिंह पुत्र हुक्मसिंह रावत,
   निवासी ग्राम दांदोला पाला बाडिया, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
7. डाऊसिंह पुत्र भैरूसिंह रावत,
8. गुमानसिंह पुत्र भोजासिंह,
   निवासी ग्राम दांदोला बाडिया भटियाली, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
9. गोपालसिंह पुत्र उदयसिंह रावत,
10. गुलाबसिंह पुत्र रामसिंह रावत,
11. पन्नासिंह पुत्र ब्रह्मासिंहह,
12. देवीसिंह पुत्र हमीरसिंह,
    निवासी ग्राम दांदोला बाडिया खोरांट, तह0 ब्यावर ,जिला अजमेर ।
13. सोहनसिंह पुत्र खीमसिंह,
14. बाबूसिंह पुत्र कूंपसिंह,
15. पन्नालाल पुत्र नंगाराम मेघवाल,
    निवासी ग्राम दांदोला खेरिया, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।

    उपरोक्त बहैसियत स्वंय एवं बहैसियत प्रतिनिधित्व करते हुए समस्त ग्रामवावासीगण तारागढ़ उसके बाडियें खेरिया, खोंराट, भटियाली व परला बाडिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र किशनसिंह रावत,
2. श्रीमती ललितादेवी बेवा किशनसिंह रावत,
3. श्रीमती नर्बदा बेवा महिपालसिंह रावत,
4. अनिलसिंह पुत्र महिपालसिंह रावत, नाबालिग जरिये वली माता नर्बदा,
5. कु0 उर्मिला पुत्री महिपालसिंह रावत, नाबालिग जरिये वली माता नर्बदा
6. नारायणसिंह पुत्र चिम्मनसिंह,
7. भगवानसिंह पुत्र चिम्मनसिंह,
8. लक्ष्मणसिंह पुत्र चिम्मनसिंह,
9. सुरेन्द्र सिंह पुत्र चिम्मनसिंह,
10. श्रीमती पानीदेवी बेवा गोपालसिंह,
11. मदनसिंह पुत्र गोपालसिंह,
12. जितेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह,
13. कु0 सीमा पुत्री गोपालसिंह,
    समस्त निवासीगण ग्राम तारागढ़ बाडिया, भटियाली, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
14. भंवरसिंह पुत्र मोटसिंह रावत,
15. श्रीमती किस्तुरी बेवा केसरसिंह रावत,
16. लक्ष्मणसिंह पुत्र केसरसिंह रावत,
17. बाबू पुत्र केसरसिंह रावत,

18. लखासिंह पुत्र केसरसिंह रावत,
19. नारायणसिंह पुत्र केसरसिंह रावत,
20. पूरणसिंह पुत्र केसरसिंह रावत,
21. गोपाल सिंह पुत्र केसरसिंह रावत,
22. सुरेन्द्रसिंह पुत्र केसरसिंह रावत,
23. खीमसिंह पुत्र केसरसिंह रावत
    समस्त निवासीगण गांव तारागढ़ दांदोला बारिया खेरियां, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
24. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर ।
25. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, ब्यावर ।
26. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 3.3.2014 अंतर्गत वाद संख्या 188/2011.

उपस्थितः–

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 24 से 26 .
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 23 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3.2014 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा तारागढ़, तहसील ब्यावर में अवस्थित वादपत्र में वर्णित भूमियां प्रारंभ से ही तारागढ़ के ही ग्राम दांदोला, खेरिया, खोराठ, भटियाली, परला बाडिया के ग्रामीण जो इसमें खेवटदार थे, अतः में वे मालिक काबिज चले आ रहे थे, वे ही ठेके पर इन पर काश्त करते थे, काश्त की आय ग्राम हित में उपयोग कीजाती थी, इनकी शामलात समिति आज भी विद्यमान है । पंचायत समिति जवाजा में प्रधान, विधायक, श्री चिम्मनसिंह भाटी एवं सरपंच व वार्ड पंच ने अपने प्रभाव से राजस्व कर्मियों का दुरूपयोग कर वादग्रस्त आराजी में से साबित खसरा नंबर 92/1, 92/2, 93, 94, 95 में तेजा पुत्र खंगारा रावत को फसली सन् 1363 में ठेके पर दी गई थी उसमें तेजा के नाम को भिन्न स्याही से कटवा कर चिम्मनसिंह पुत्र कल्लासिंह का नाम इंद्राज करवा लिया । इसी प्रकार खसरा नंबर 96, 978, 99, 100, 102,103 में भी चिम्मनसिह का नाम खुदकाश्त मालिक से दर्ज करवा लिया जबकि उक्त सभी खसरा नंबर शामलात देह में दर्ज थे तथा ठेके पर दिये जाते थे । इसी प्रकार फसली 1365 में खसरा नंबर 96, 97, 98, 100/1, 100/2, 101, 102/1, 102/2, 103 व 104 में मुद्दत 4 साल से चिम्मनसिंह के भिन्न स्याही से खुदकाश्त दर्ज करवा दिया तथा खसरा नंबर 195/5 में मुद्दत 5 साल दर्ज कराया है । उक्त इंद्राज आगे गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 में किया गया है । प्रथम बार खसरा नंबर 70 व 74 में चिम्मनसिंह के साथ केसरसिंह व मोरसिंह के नाम संवत् 2031 में बावजूद इनकी काश्त नहीं होने के दर्ज

करा दिया गया । इसके बाद संवत् 2031 व 2032 में खसरा नंबर 75,76, 77, 80, 81, 83, 84, 85 में मोरसिंह वगैरह से दर्ज कराया है । अन्य इंद्राजात भी कराये गये जबकि उनका कभी कब्जा काश्त नहीं रहा एवं कॉलम संख्या 12 में ठेके पर दर्ज है । खसरा नंबर 192/3, 192/8 में मुद्दत 4 साल चिम्मनसिह के साथ नाम गलत दर्ज करवाया गया है । संवत् 2022 से 2025 की जमाबंदी में किशनसिंह व नारायणसिंह ने साबिक नंबर 4 मिन, 7 मिन व खसरा नंबर 86 लगायत 91 व 106 लगायत 109, 104, 212, 192/2 लगायत 192/10 में अपनी गैर खातेदारी बिना आवंटन नियमन के 22 बीघा 10 बिस्वा में गलत रूप से दर्ज करवा ली । इसी प्रकार मोरसिंह, चिम्मनसिंह व केसरसिंह तीनों ने मिलकर साबिक खसरा नंबर का अपने नाम गलत इंद्राज करवा लिया जो बाद की जमाबंदियों में यथा अनुसार रिपिट होते चले आ रहे है जबकि भूमियों पर इनका कभी कब्जा नहीं रहा अपितु ग्रामवासियान का संयुक्त कब्जा काश्त आज तक चला आ रहा है । उपरोक्त गलत इंद्राजों के आधार पर हाल सेटलमेंट वर्किंग जमाबंदी में भी गलत व गैर कानूनी तरीके से इन लोगों का नाम गलत दर्ज हो गया है । वादीगण/अपीलांटस का कब्जा काश्तकारी अधि0 प्रभाव में आने के पूर्व से ही होने से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ अपीलांटस खातेदार हो चुके है एवं कब्जा मुखालफाना से भी खातेदारी अधिकार हांसिल करने के अधिकारी है तथा धारा 27 मियाद अधि0 व धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के तहत भी खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है । चिम्मनसिह की मृत्यु उपरांत उनके वारिसान ने नामांतकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया एवं वर्ष 1978 में चिम्मनसिंह के वारिसान ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा करना चाहा जिसे ग्रामवासियान ने विफल कर दिया । इसी प्रकार मोरसिंह व केसरसिंह द्वारा कब्जा किये जाने का प्रयास किये जाने पर उसे भी विफल कर दिया गया तथा वर्ष 1980 में तीनों ने लिखित में यह स्वीकार किया कि प्रश्नगत भूमियां ग्रामवासियान की है व निरन्तर उन्हीं के कब्जे काश्त में रही है । साथ ही यह भी कथन किया कि केसरसिंह व मोरसिह के देहांत उपरांत उनका फौती नामांतकरण खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में उने वारिसान का नाम दर्ज कर दिया जिसके आधार पर समस्त प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा करने व बेचान करने का प्रयास करना शुरू कर दिया जिसकी जानकारी वादीगण/अपीलांटस को होने पर उक्त वाद प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के नाम दर्ज नामांतकरण को अवैध व प्रभावशून्य घोषित किया जाकर वादीगण/अपीलांटस उनकी विकास समिति को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3.2014 द्वारा वादीगण का वाद अस्वीकार करते हुए विवादित आराजियात को सिवाायचक घोषित करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से अंसतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने राज0काश्त0अधि0 1955 में प्रावधित प्रावधानों व रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज किया कि वादग्रस्त भूमियां 1350 फसली तद्नुसार सन् 1942 में खाता संख्या 51 की शामलात थोक तारागढ़ के खाते की भूमियां

थी जो ताबेमर्जी मालिक शामलात देह की भूमियां थी जिन पर शामलात देह कमेटी इजाजत से सालाना ठेका राशि पर बतौर लाईसेंसी गांव के काश्तकारों को काश्त हेतु दी जाती रही थी व शामलात दे हके मालिक गांव के जो खेवटदार थे वे ही मालिक काबिज चले आ रहे थे व इसकी आय की राशि का उपयोग गांवों के ग्राम हित में ही करते आ रहे है तथा वर्ष 1980 से शामलात विकास समिति आज तक विद्यमान होकर ग्रामवासियों को भूमि ठेके पर देने की व्यस्था का कार्य कर रही है । लगभग 70–80 वर्षो से उक्त भूमि ग्रामवासियान की व्यवस्था में होने व निर्धारित शामलता विकास समिति द्वारा काश्त हेतु ठेके पर दिये जाने से वादीगण खातेदारी घोषणा के अधिकार थे परन्तु अधी0न्याया0 ने इन समस्त विधिक स्थिति को पूर्णतया दरकिनार कर शामलात देह की आराजियात को अपीलांटस की खातेदारी में घोषित नहीं कर सिवायचक घोषित करने का जो निर्णय पारित किया है वह विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात गत् 100 वर्षो से भी अधिक समय से निर्बाध कब्जा काश्त उनके पूर्वजों के समय से चला आ रहा है जिससे वे कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी धारा 27 मियाद अधि0 व धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद को साबित करने हेतु 84 प्रदर्श दस्तावेज व 10 गवाहान के बयान कराये जिनसे वादीगण का वाद साबित था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को नजरअदांज कर वादीगण का वाद अपास्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3.2014 अपास्त किया जावे एवं वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम तारागढ़ व उक्त क्षैत्र के ग्रामों के निवासीगण है जिन्होंने अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन वाद में पेशी पर आने जाने व देख–रेख करने हेतु शपथकर्ता खेतसिंह को नियुक्त कर रखा था । दिनांक 3.3.2014 को अधी0न्याया0 से निर्णय होने की सूचना मिलने पर दिनांक 10.3.2014 को ब्यावर गये व निर्णय प्राप्त की किन्तु तत्पश्चात् साढ़े तीन माह तक गंभीर रूप से बीमार रहने से अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की सूचना किसी अन्य ग्रामवासी को नहीं हुई तथा ठीक हो पर प्रार्थी शपथकर्ता ने दिनांक 7.7.2014 को अपने अधिवक्त से संपर्क किया जिस पर अधिवक्ता ने अवगत कराया कि अजमेर जाकर अपील पेश करनी होगी । तद्पोरांत दिनाक 10.7.2014 को प्रार्थीगण अजमेर आये व वकील नियुक्त कर अविलंब यह अपील तैयार करवाकर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमियां शामलाती है जिसमें किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । वादीगण/अपीलांटस ने जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है उनमें कांट–छांट की हुई है जिससे वादीगण द्वारा साक्ष्य बनावटी होना प्रकट होने से अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद अपास्त किया है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है।

अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस विवादित आराजियात शामलात देह की आराजियात होने का कथन करते हुए कथन किया कि अपीलांटस के पूर्वज विवादित आराजियात के खेवटदार थे तथा मालिक काबिज चले आ रहे थे एवं वे ही इसे ठेके पर काश्त करते थे तथा कब्जा मुखालफाना के आधार पर धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है किन्तु विवादित आराजियात में से खसरा नंबर 96, 97, 99, 100, 102, 103 पर चिम्मनसिंह ने अपना नाम खुदकाश्त मालिक से दर्ज करवा लिया इसी प्रकार खसरा नंबर 96, 97, 98,99,100/1, 100/2, 101, 1.2/1, 102/2 व 103 व 104 को भी चिम्मनसिंह ने खुदकाश्त से दर्ज करवा लिया है जबकि उक्त सभी नंबर शामलात देह में दर्ज थे तथा ठेके पर दिये जाते थे । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भली–भांति स्पष्ट है कि विवादित आराजियात शामलात देह की है जो ब्रिटीश राज्य के समय से ही ग्राम के विभिन्न व्यक्तियों को ठेके पर दी जाती रही है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 85 से 91 तथा 92/1 से 02/2, 93 एवं 94 तेजा वल्द खंगारा को 2 साल से ठेके पर देना अंकित है किन्तु इसमें खसरा नंबर 92/1, 92/2, 93 व 94 में भिन्न स्याही से ठेकेदार तेजा का नाम हटाकर चिमना वल्द कल्ला दर्ज कर दिया जो फर्जी साबित होता है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि खसरा गिरदावरियों में बिना किसी आवंटन/नियमन अथवा सक्षम न्यायालय की डिक्री के विवादित आराजियात का प्रतिवादीगण के अग्रज चिम्मनसिंह, मोटसिंह व किशनसिंह को गैर खातेदार व खातेदार दर्ज किया हुआ है जो गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है । अवैध एवं कूटरचित दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रतिवादीगण तथा इनके पूर्वजों को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है । विद्वान अधी0न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादीगण/अपीलांटस का वाद अपास्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3.2014 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है । ।

8. अतः अपील उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3...2014 यथावत् रखा जाता है ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर